कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती लीला चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माताजी की पन्डोली जिला चित्तौडगढ का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झारखेडी जिला बारां किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती लीला चतुर्वेदी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर में अपील संख्या 519/2019 श्रीमती लीला चतुर्वेदी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 519/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती लीला चतुर्वेदी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों एवं जिले में वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों में से प्राथमिकतानुसार विकल्प को दर्शाते हुए दिनांक 25.10.2019 तक अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 11.11.2019 तक एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दिये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्रीमती लीला चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों से आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से पदस्थापित किये जाने सम्बन्धी निर्देश एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन चित्तौडगढ जिले में प्रधानाचार्य समकक्ष के किसी रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की विकट पारिवारिक परिस्थितियों एवं उनके राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त होने को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती लीला चतुर्वेदी का समायोजन/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुम्बडिया, गंगरार जिला चित्तौडगढ में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। श्रीमती चतुर्वेदी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में अपने नवीन समायोजित स्थान पर प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल प्रभाव से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/लीला चतुर्वेदी/519/2019 **दिनांकः** 01.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौडगढ को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती लीला चतुर्वेदी के समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तीन दिवस में इस कार्यालय के विभागीय जांच–प्रथम अनुभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, चित्तौडगढ़।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, गंगरार जिला चित्तौडगढ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, श्रीमती लीला चतुर्वेदी को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)